मुकदमों का विवरण

बीरबल नाथ बनाम।

राजस्थान और ओ. आर. एस. राज्य (2008 की आपराधिक अपील संख्या 1587) 30 अक्टूबर, 2023

[संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या उच्च न्यायालय को मुख्य अपराध के लिए अभियुक्त को बरी करने में न्यायसंगत ठहराया गया था।302 और 307 भारतीय दंड संहिता सी., और उन्हें केवल अपराध के लिए दोषी ठहराना यू/एस. एस.147, 148, 323, 324, 325/149 और उनकी सजा को घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि तक कर दिया; और क्या घायल चश्मदीद गवाह के दो बयानों में संकुचन, एक पुलिस यू/एस को दिया गया है।161 Cr.PC., और न्यायालय के समक्ष दिया गया दूसरा, एक गवाह को बदनाम करने के लिए पर्याप्त होगा।

दंड संहिता**, 1870-**एस**.** एस**.304** भाग **I, 308,147,148,323,324,325/149-**निंदनीय हत्या हत्या के बराबर नहीं है**-**शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट कि सात हथियारबंद लोगों ने उसके चाचा और चाची पर हमला किया जब वे अपने कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे**,** जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं**,** जिसके परिणामस्वरूप चाचा की मृत्यु हो गई**-**कई रिश्तेदारों द्वारा देखी गई घटना जिन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की लेकिन विफल रहे**-**दोषसिद्धि और अपराध के लिए सजा यू/एस**.** एस**.302, 307, 323, 324, 325, 447, 147/148** एस के साथ पढ़ें।**149 –** हालाँकि**,** उच्च न्यायालय ने उन्हें प्रमुख अपराधों के लिए बरी कर दिया।**302** और **307,** और केवल अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए।**147, 148, 323, 324, 325/149 –** सटीकताः

आयोजित किया गयाःयह मामला गैर इरादतन हत्या का है न कि हत्या का-हमलावरों को लगी चोटों को मुकदमे में साबित नहीं किया जा सका, बचाव पक्ष के गवाह को पूरी तरह से बदनाम किया गया-एक घायल चश्मदीद गवाह के दो बयानों में विरोधाभास थे-ये विरोधाभास, हालांकि, इस गवाह को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, वह एक विश्वसनीय गवाह है-ऐसे 86 में कुछ विसंगतियां हमेशा होती हैं।

उसके ग्रामीण पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मामले-उच्च न्यायालय द्वारा चश्मदीद गवाह के बयान पर अविश्वास करने के लिए दिए गए कारण सही नहीं थे-इस चश्मदीद गवाह के अलावा, अन्य चश्मदीद गवाह भी थे-हथियारों और आरोपी के खून से सने कपड़े की बरामदगी-इन विरोधाभासों को देखते हुए, आरोपी को दिए गए संदेह का लाभ-जहां तक पूर्व नियोजित हमले का संबंध है, हमला यू/एस होगा।300 अपवाद 4, हमला पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि "अचानक एक अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में और अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किए बिना" था-इस प्रकार, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं था-उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया और रद्द कर दिया गया-यू/एस की सजा।302 एस में परिवर्तित।304 भाग I और s का।307 से एस।308 और तदनुसार सजा सुनाई जाती है-अभियुक्त के खिलाफ मामला समाप्त हो जाता है जिसकी अवधि समाप्त हो गई है।[पैरा 27-32]

गवाह-दो बयानों में संकुचन, एक पुलिस यू/एस को दिया गया।**161 Cr.PC.,** और दूसरा न्यायालय के समक्ष दिया गया-विश्वसनीयता

आयोजित किया गयाःदोनों बयानों में संकुचन एक गवाह को बदनाम करने के लिए पर्याप्त हो भी सकता है और नहीं भी -1872 के अधिनियम की धाराओं को किसी दिए गए मामले में सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए-एक गवाह की प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य गवाह के दो बयानों में विरोधाभास लाना है-ग्रामीण परिवेश, ऐसे गवाह की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करते समय विधि की न्यायालय में ऐसे गवाह की अभिव्यक्ति की मात्रा प्रासंगिक विचार हैं-गवाह की लंबी प्रतिपरीक्षा का परिणाम हमेशा विरोधाभास हो सकता है-हालांकि, ये विरोधाभास हमेशा एक गवाह को बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं-साक्ष्य अधिनियम, 1872-एस. एस.145/155.[पैरा 20 और 22]

गवाह-घायल चश्मदीद-साक्ष्य मूल्यः

आयोजित किया गयाःएक घायल चश्मदीद गवाह का बयान सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है जिसे न्यायालय द्वारा आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है-छोटी विसंगतियां मायने नहीं रखती हैं।[पैरा 26]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1963 -**धारा **161-**गोपनीय मूल्य के अंतर्गत जांच के दौरान पुलिस को दिया गया बयानः

आयोजित किया गयाःइसे "साक्ष्य" के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है-विधि की न्यायालय में इसकी सीमित प्रयोज्यता है जैसा कि यू/एस द्वारा निर्धारित किया गया है।162 – जांच के दौरान पुलिस के सामने दिया गया बयान यू/एस।161 साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत पिछले बयान हैं और इस प्रकार एक गवाह से जिरह करने के लिए उपयोग किया जा सकता है-लेकिन केवल 87

बीरबल नाथ बनाम राजस्थान राज्य और ओआरएस 88

सीमित उद्देश्य के लिए, ऐसे गवाह का "खंडन" करना-भले ही बचाव पक्ष किसी गवाह का खंडन करने में सफल हो, इसका हमेशा यह मतलब नहीं होगा कि दोनों बयानों में विरोधाभास के परिणामस्वरूप गवाह पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा।[पैरा 18 और 19]

नगरों और अन्य संदर्भों की सूची

रम्मी बनाम एमपी राज्य (1999) 8 एससीसी 649:[1999] 3 पूरक।एससीआर 1; तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1012:[1959] पूरक।एससीआर

875; एम. पी. बनाम राज्यमानसिंह और अन्य (2003) 10 एस. सी. सी. 414:[2003] 2

पूरक।एस. सी. आर. 460-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2008 की आपराधिक अपील No.1587।

2002 के डी. बी. सी. ए. No.976 में जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांकित 08.08.2007 के निर्णय और आदेश से।

सह

2008 की आपराधिक अपील No.1588।

रूपः

डॉ. मनीष सिंघवी, रामकृष्ण वीरराघवन सीनियर एड., सुश्री शुभांगी अग्रवाल, अपूर्व एस., मिलिंद कुमार, डॉ. चारू माथुर, पी. डी. शर्मा, एच. डी. थानवी, निखिल कुमार सिंह, अचल सिंह बुले, महेंद्र सिंह, ऋषि मटोलिया, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

सुधांशु धूलिया, न्या .

1. उपरोक्त दोनों अपीलें 2002 की आपराधिक अपील में राजस्थान उच्च विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 2 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसके अंतर्गत सभी आरोपी जिन्हें निचली अदालत ने धारा 302,307,323,324,325,447,147/148 के अंतर्गत दोषी ठहराया था।

/

भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ, धारा 302 और 307 के अंतर्गत बड़े अपराधों के लिए बरी कर दिया गया था, और केवल धारा 147,148,323,324,325/149 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।उनकी सजा को भी घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि कर दिया गया था, जो लगभग दो से पांच साल तक थी।

2. शिकायतकर्ता के साथ-साथ राज्य ने उपरोक्त दो अपीलों के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया था और 26.09.2008 पर अनुमति दी गई थी।

3. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील, पीड़ितों की ओर से डॉ. चारू माथुर और राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी के साथ-साथ अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामकृष्ण वीरराघवन को सुना है।

4. शिकायतकर्ता-बीरबल नाथ द्वारा पुलिस स्टेशन, पचोरी, जिला नागौर, राजस्थान में लगभग 3 बजे 22.05.2001 पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें खुलासा किया गया था कि लगभग 1 बजेः00 उस दोपहर, जब मुखबिर के चाचा 'चंदरनाथ' और उनकी चाची 'रामी' अपने कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो हथियारों से लैस सात लोग उनके पास पहुंचे।वे इस प्रकार थेः-

(1) जेठनाथ के पास 'कुल्हाड़ी' है

(2) धुरनाथ के पास एक 'डांग' है

(3) मेघनाथ के पास एक 'फारसी' है

(4) रुघनाथ के पास फावड़ा (फावड़ा) (5) बाबूनाथ के पास 'डांग' है

(6) मालानाथ के पास 'कुल्हाड़ी' और (7) देवनाथ के पास 'डांग' है।

उपरोक्त सभी नामित आरोपी, जो हथियारबंद थे, शिकायतकर्ता-बीरबलनाथ की चाची और चाचा पर हमला करने लगे, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।जेठनाथ अपनी कुल्हाड़ी से चंदर्नाथ पर हमला करने वाले पहले व्यक्ति थे और बाकी हमले में शामिल हो गए।इन हमलावरों ने रामी पर भी हमला किया।इस घटना को प्रतापनाथ, रामूनाथ, धुरनाथ, उनकी साली रामप्यारी, चेनी देवी और रूपाराम ने भी देखा क्योंकि वे कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गए थे, जिन्होंने मामले में हस्तक्षेप करने और अपने 89 लोगों को बचाने की कोशिश की।

रिश्तेदार, लेकिन व्यर्थ।जोधपुर के अस्पताल ले जाते समय चंदरनाथ की एम्बुलेंस में मौत हो गई।इस बीच पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी और मामले में देवनाथ को छोड़कर सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।बाद में मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया

जहां आरोप पत्र में नामित सभी छह अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,302,323/149,324/149,325/149,447,307/149 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए।5. अभियोजन पक्ष द्वारा सभी 24 गवाहों से पूछताछ की गई।स्टार चश्मदीद रामी (पीडब्लू-2) है जो मृतक की पत्नी है और खुद इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उनके अलावा अन्य चश्मदीद गवाह भी थे जैसे कि पीडब्लू-3, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 अर्थात रामप्यारी, मोहननाथ और बीरबलनाथ।अभियुक्त द्वारा खुलासा किए जाने पर कपड़े और हथियार भी बरामद किए गए।6. सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के अंतर्गत अपने बयान में, सभी अभियुक्तों ने अपने खिलाफ आरोपों और सबूतों से इनकार किया और बीरमाराम (डी. डब्ल्यू.-1), हनुताराम (डी. डब्ल्यू.-2), खेमराम (डी. डब्ल्यू.-3), डॉ. देवकरण (डी. डब्ल्यू.-4) और हुकमराम (डी. डब्ल्यू.-5) के रूप में बचाव पक्ष के गवाहों को भी पेश किया।7. अभियोजन पक्ष द्वारा जिन सभी अभियोजन गवाहों से पूछताछ की गई थी, उनमें से रामी (पीडब्लू-2) सबसे महत्वपूर्ण गवाह है, क्योंकि वह मृतक की पत्नी थी और प्रासंगिक समय पर अपने पति के साथ जेल में काम कर रही थी।इसके अलावा, इस गवाह को घटना में गंभीर चोटें आई थीं, जिसमें उसके सिर पर लगभग घातक चोट भी शामिल थी और इसलिए इस विशेष गवाह की गवाही अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया सबसे विश्वसनीय सबूत है।रामी की मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा विचारण न्यायालय के समक्ष 27.11.2001 पर की गई थी।बचाव पक्ष द्वारा उसकी लंबी जिरह की गई, लेकिन मामूली विसंगतियों को छोड़कर, जिरह में कुछ भी सामने नहीं आया है।ये विसंगतियाँ, जिनकी हम बाद में जाँच करेंगे, गवाह को बदनाम नहीं करती हैं, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है।एक गवाह की जाँच करते समय सामाजिक पृष्ठभूमि और मामले की समग्र परिस्थितियाँ न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण विचार हैं, जो अभी तक नहीं किया गया है।उच्च न्यायालय , जैसा कि हम देखेंगे, ने अभियुक्त को धारा 302 के अंतर्गत आरोपों से बरी करते हुए इन विसंगतियों पर भरोसा किया है।307.

8. उसकी जाँच में प्रमुख पीडब्लू-2 लगातार इस स्थिति में थी कि वह और उसका पति अपने हथियार पर काम कर रहे थे, और प्रत्येक आरोपी या तो 'कुल्हाड़ी', 'फारसी' या अन्य हथियार से लैस थे और वे थे

/

[2023] 14 एस सी आर।

सात की संख्या में, जिन्होंने उसके और उसके पति पर हमला किया।जेठनाथ ने कुल्हाड़ी से सिर पर, मेघनाथ ने 'फावड़ा' से, धुरनाथ ने अपने पति के सिर पर 'डांग' से हमला किया, रघुनाथ ने उस पर 'फावड़ा' 1 से हमला किया, मलानाथ ने अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया, रघुनाथ और बाबूनाथ ने भी किया।उन सभी ने उस पर भी हमला किया था, और इसके परिणामस्वरूप उसके सिर, बाएं हाथ, दाहिने हाथ, जोड़ों और पैरों पर चोटें आईं। उसके पति को भी सिर, हाथ और पैर में चोटें आई थीं।उनके हाथ और पैर टूट गए थे।जब

उसने शोर मचाया तो प्रतापनाथ, रामप्यारी, चेनी, रामनाथ, बीरबलनाथ, दुधनाथ, पुरखाराम और रूपाराम दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाने की कोशिश की।उनके पति चंदननाथ की जोधपुर के अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई।उसे (पीडब्लू-2) चिकित्सा उपचार दिया गया और एक डॉक्टर द्वारा उसकी जांच की गई।9. रामप्यारी (पीडब्लू-3) जो फिर से घटना की गवाह है, कहती है कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन दोपहर लगभग 1 बजे उसने किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना।उसने रामी और चंदरनाथ की आवाज़ को पहचाना और फिर वह तुरंत फ़ील्ड की ओर दौड़ी।उनके साथ चेना, बीरबलनाथ, दुधनाथ और पुरखाराम भी थे।उन्होंने जेठनाथ, धूमनाथ, मेघनाथ, रुघनाथ, बाबूनाथ, मलनाथ और देवनाथ को देखा, जो सभी कुल्हाड़ी, फारसी, डांग और "फावड़ा" से लैस थे।वे सभी चंदननाथ पर हमला कर रहे थे।उन्हें देख आरोपी मौके से फरार हो गए।उन्होंने देखा कि चंदरनाथ पेट पर लेटे हुए थे और उनका खून बह रहा था, और रामी का भी।उसके सिर और कान पर चोट के निशान थे।

10. डॉ. रामविलास, जिनका परीक्षण (पीडब्लू-4) के रूप में किया गया था, ने कहा कि मृतक की मृत्यु विशेष रूप से सिर पर लगी चोटों के कारण हुई थी।रामी (पीडब्लू-2) और रामप्यारी (पीडब्लू-3) के अलावा अन्य चश्मदीद गवाह (पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7) भी हैं, जो रामी द्वारा शोर मचाने के बाद मौके पर पहुंचे थे।'स्थल योजना' से पता चलता है कि इन गवाहों का 'चैपर' पास में है और इसलिए यह तथ्य कि ये गवाह पड़ोस में थे, विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से माना गया था, और उनकी उपस्थिति स्वाभाविक लग रही थी।

11. पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 ने फिर से पीडब्लू-3 के समान बयान दिए थे, जो घटना के समय पड़ोस में थे।हालाँकि यह संदेह हो सकता है कि क्या उन्होंने घटनाओं के पूरे क्रम को देखा था, फिर भी उन्होंने हमलावरों को घटना स्थल से भागते हुए देखा था।

1 फावड़ा 91

ये भी महत्वपूर्ण गवाह हैं, हालांकि उच्च न्यायालय ने उनके बयान पर कुछ नहीं कहा है।

12. शव का पोस्टमार्टम 23.05.2001 पर किया गया था।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट निम्नलिखित पूर्व-पोस्टमार्टम चोटों को दर्शाती हैः

“((i):खोपड़ी के बाएँ पार्श्विक क्षेत्र में गहराई से 1 ½ "X ½" हड्डी के आकार में घाव।बाएँ पार्श्विका हड्डी का दबा हुआ पोडियम होता है।

((ख):खोपड़ी के दाहिने पार्श्विक क्षेत्र के ऊपर 1 "X ¼" हड्डी के आकार में घाव।दाहिनी पार्श्विका हड्डी में पंचर/फ्रैक्चर होता है।

छात्र = डिलेटेड, हैगी।

(iii):खोपड़ी के पश्चवर्ती क्षेत्र के ऊपर गहराई से 3/4 "X ¼" हड्डी के आकार में घाव।खोपड़ी पर पश्चक हड्डी का छिद्र होता है।((iv):½ "X 1/8" हड्डी के आकार में घाव, बाएं पैर के ऊपरी हिस्से पर भारी संदूषण।टिबिया और फाइबुला हड्डी के ऊपरी 1/4 वें हिस्से में फ्रैक्चर होता है।

(v):½ "X ¼" के आकार का घाव हड्डी तक गहरा हो गया था और घाव के पास सूजन हो गई थी।यह घाव बाएं पैर के निचले हिस्से में था।टिबिया और फाइ बुला हड्डियों के निचले छोर में फ्रैक्चर हुआ था।

(vi):मध्यम आकार में सूजन दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से की ओर विकसित हुई थी और उसमें पहली मेटा-कार्पल हड्डी का फ्रैक्चर था।

.....

.....

मेरी राय में, चंदर नाथ पुत्र गोपुनाथ की मृत्यु का कारण सिर में चोट और ब्रायन रक्तस्राव है।
"

13. रामी को लगी चोटों की रिपोर्ट दिनांक 22.05.2001 के अनुसार इस प्रकार हैः

1. 2 ½ "x ½" x हड्डी के आकार में कटा हुआ घाव, खोपड़ी के गहरे/पूर्ववर्ती हिस्से पर ऊर्ध्वाधर रूप से रखा गया, प्रकृति में सरल; तेज हथियार द्वारा एक्स-रे रिपोर्ट के लिए सलाह दी गई।

/

[2023] 14 एस सी आर।

2. दाहिने हाथ से कंधे तक सूजन के रूप में; एक्स-रे के लिए सलाह दी जाती है, प्रकृति में सरल, कुंद वस्तु द्वारा।

3. बायीं जांघ के निचले हिस्से पर 1 ½ "x ½" के आकार में चोट, निचली तरफ, प्रकृति में सरल, कुंद वस्तु द्वारा।

4. बायीं भुजा के बीच में 1 ½ "x ½" के आकार में पार्श्व रूप से, प्रकृति में सरल, कुंद वस्तु द्वारा चोट लगना।

5. पीठ के निचले हिस्से पर 4 "x 1" के आकार में चोट लगना, प्रकृति में सरल, कुंद वस्तु द्वारा।

14. विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 242,323,324,325,147,148,447 के अंतर्गत दोषी ठहराया और अन्य बातों के

साथ-साथ उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।इसके अलावा जेठनाथ, धुरनाथ और मेघनाथ को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था।

15. अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील का नेतृत्व किया जिसकी आंशिक रूप से अनुज्ञात गई, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई थी।

16. जांच के दौरान पी. डब्ल्यू.-2 द्वारा धारा 161 Cr.PC के अंतर्गत पुलिस के समक्ष दिए गए बयान पर बचाव पक्ष ने भरोसा किया ताकि गवाह के बयान का खंडन किया जा सके।गवाह ने पुलिस के समक्ष अपने पहले के बयान में कहा था कि आरोपी जेठनाथ अपने बगल में काम कर रहा था और उसकी मृतक के साथ उनकी सीमा को लेकर कुछ बहस हुई थी जिसमें दोनों के बीच गरमागरम बहस हुई थी।तब जेठनाथ ने शोर मचाया जिसके परिणामस्वरूप उनके बेटे और रिश्तेदार मौके पर आ गए, जो सभी हथियारों से लैस थे।यह सच है कि जेठनाथ के क्षेत्राधिकार में काम करने और विवाद का यह तथ्य उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में नहीं बताया था।इस प्रकार उच्च न्यायालय पी. डब्ल्यू.-2 के धारा 161 Cr.PC के अंतर्गत दिए गए बयान और उसके मुख्य परीक्षण में विसंगति दर्शाता है, जिसे वह इस गवाह को बदनाम करने के लिए पर्याप्त मानता है।

17. जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि यह विशेष गवाह यानी पीडब्लू-2 एक घायल गवाह और मृतक की पत्नी है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में अपना स्पष्ट और स्पष्ट बयान दिया है और हालांकि उससे लंबे समय तक जिरह की गई थी, यह गवाह अपनी बात पर कायम रहा।इसके अलावा, यह उसका पति है जिसे हमलावरों ने मार डाला है।उन्हें 93 पर आरोप क्यों लगाना चाहिए?

गलत लोग?उच्च न्यायालय अभियोजन पक्ष के स्टार गवाह को धारा 161 Cr.PC के अंतर्गत उसके बयान और उसकी जाँच-पड़ताल में कथित विसंगतियों के कारण बदनाम करता है। इसके बाद यह माना जाता है कि यह बिल्कुल भी पूर्व नियोजित हमला नहीं था और इसलिए समान इरादे या गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य का कोई मामला नहीं बनाया गया है और न ही यह धारा 303 या 307 के लिए मामला होगा।ऐसा कहा गया थाः--

"सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जिस प्रश्न पर हमें गौर करने की आवश्यकता है, वह यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई कहानी की शुरुआत विश्वसनीय है या नहीं। प्रत्यक्षदर्शी के विवरण के अनुसार आरोपी घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने मृतक के सिर पर हमला किया और वह जेठ नाथ के सिर पर चोट लगने से नीचे गिर गया और फिर अन्य आरोपी व्यक्तियों को चोटें आईं।जेठ नाथ को कुल्हाड़ी सौंपी गई है और कुल्हाड़ी से कोई चोट नहीं होने के कारण, अभियोजन पक्ष के गवाह, पीडब्लू/2 रामी घायल चश्मदीद गवाह द्वारा दी गई कहानी की शुरुआत सही नहीं लगती है।

उस दृष्टिकोण या मामले में, अगर हम उसके बयान में विरोधाभास पर विचार करते हैं कि उसने अपने पुलिस बयान में कहा है कि चीजें चारदीवारी को संभालने या कांटे की बाड़ लगाने से शुरू हुईं, तो यह एक ऐसा मामला था जहां दोनों पक्ष गुस्से में आ गए थे।यदि कोई पूर्व-ध्यान नहीं था, तो घटना शुरू होने से पहले मृतक को मारने का कोई पूर्व-उद्देश्य नहीं था, तो यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि मृतक को खत्म करने का एक सामान्य उद्देश्य था।यदि कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था तो भारतीय दंड संहिता सी. की धाराओं 302/149 के अंतर्गत दोषसिद्धि नहीं की जाती है और मामले के उस दृष्टिकोण से, अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार किया जाना चाहिए। "18. धारा 161 के अंतर्गत जांच के दौरान पुलिस को दिए गए बयान को "सबूत" के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C) की धारा 162 2 के अंतर्गत निर्धारित विधि के न्यायालय में इसकी सीमित प्रयोज्यता है।

2 धारा 162।पुलिस को दिए गए बयानों पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिएःसाक्ष्य में कथनों का उपयोग।(1) इस अध्याय के अंतर्गत जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी बयान पर, यदि वह लिखित ही रह जाता है, तो उसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे; और न ही ऐसा कोई बयान या उसका कोई रिकॉर्ड, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या अन्यथा, या ऐसे बयान या रिकॉर्ड का कोई हिस्सा, किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसके बाद, उस समय जब ऐसा बयान दिया गया था, जांच के अंतर्गत किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी जांच या मुकदमे में, जब ऐसा बयान दिया गया थाः

/

[2023] 14 एस सी आर।

19. इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 161 के अंतर्गत जांच के दौरान पुलिस के समक्ष दिया गया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत "पिछले बयान" हैं और इसलिए इसका उपयोग गवाह से जिरह करने के लिए किया जा सकता है।लेकिन यह केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए है, ऐसे गवाह का "खंडन" करने के लिए।भले ही बचाव पक्ष किसी गवाह का खंडन करने में सफल हो, लेकिन इसका हमेशा यह मतलब नहीं होगा कि उसके दो बयानों में विरोधाभास के परिणामस्वरूप इस गवाह को पूरी तरह से बदनाम किया जाएगा।यहीं हम महसूस करते हैं कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश गलत हो गए हैं।

20. दोनों बयानों में संकुचन एक गवाह को बदनाम करने के लिए पर्याप्त हो भी सकता है और नहीं भी।साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 के साथ पठित धारा 145 को किसी दिए गए मामले में सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए।इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पीडब्लू-2 रामी एक घायल चश्मदीद गवाह है, और मृतक की पत्नी होने के नाते उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनके कृषि क्षेत्र में उसकी उपस्थिति स्वाभाविक है।उसकी जाँच में उसका बयान घटना और प्रत्येक हमलावर को सौंपी गई सटीक भूमिका का विवरण देता है। बचाव पक्ष द्वारा इस गवाह से लंबी जिरह की गई।ऐसे मामलों में कुछ विसंगतियां हमेशा तब होती हैं जब हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि यह गवाह एक महिला है जो एक गाँव में रहती है और एक किसान की पत्नी है जो अपनी ज़मीन पर खेती करती है और अपने हाथों से

फसलें उगाती है।दूसरे शब्दों में, वे बड़े किसान नहीं हैं।ग्रामीण परिवेश, विधि में ऐसे गवाह की अभिव्यक्ति की मात्रा ऐसे गवाह की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करते समय प्रासंगिक विचार हैं।इसके अलावा, एक गवाह की लंबी प्रतिपरीक्षा के परिणामस्वरूप हमेशा विरोधाभास हो सकते हैं।लेकिन ये विरोधाभास हमेशा पर्याप्त नहीं होते हैं।

एक गवाह को बदनाम करना।रम्मी बनाम एम. पी. राज्य (1999) 8 एस. सी. सी. 649 में यह

न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया थाः

बशर्ते कि जब किसी गवाह को ऐसी जांच या मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए बुलाया जाता है, जिसका बयान उपरोक्त के रूप में लिखित रूप में कम कर दिया गया है, तो उसके बयान का कोई भी हिस्सा, यदि विधिवत साबित हो जाता है, तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुमति से, अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ऐसे गवाह का खंडन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है; और जब ऐसे बयान का कोई भी हिस्सा इस तरह से उपयोग किया जाता है, तो उसके किसी भी हिस्से का उपयोग ऐसे गवाह की पुनः परीक्षा में भी किया जा सकता है, लेकिन केवल उसकी प्रतिपरीक्षा में संदर्भित किसी भी मामले को समझाने के उद्देश्य से।

(2) इस धारा की कोई बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खंड (1) के प्रावधानों के भीतर आने वाले किसी भी बयान पर लागू नहीं मानी जाएगी; या उस अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को लागू करने के लिए।

95

बीरबल नाथ बनाम राजस्थान राज्य और हमारा [सुधानशु धूलिया, जे.] 96 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

“24. जब एक प्रत्यक्षदर्शी से विस्तार से पूछताछ की जाती है तो उसके लिए कुछ विसंगतियां करना काफी संभव है।कोई भी सच्चा गवाह संभवतः कुछ असंगत विवरण देने से बच नहीं सकता है।शायद एक झूठा गवाह जो अच्छी तरह से पढ़ाया गया है, सफलतापूर्वक अपनी गवाही को पूरी तरह से असंगत बना सकता है।लेकिन न्यायालय ों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी गवाह के साक्ष्य में विसंगतियां उसके बयान की विश्वसनीयता के साथ इतनी असंगत होती हैं कि न्यायालय को उसके साक्ष्य को रद्द करने में न्यायसंगत ठहराया जाता है।लेकिन किसी घटना के वर्णन में आने वाले केवल बदलावों (या तो दो गवाहों के साक्ष्य के बीच या एक ही गवाह के दो बयानों के बीच) पर अपनाया जाने वाला बहुत गंभीर दृष्टिकोण न्यायिक जांच के लिए एक अवास्तविक दृष्टिकोण है। "

इसी मामले में, दोनों बयानों में विरोधाभास का उपयोग किसी गवाह को बदनाम करने के लिए कितना किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई है।

“25. निचली अदालतों में जिरह के दौरान उसका सामना करने के लिए गवाह के पिछले बयान से विरोधाभास करना एक आम बात है।केवल इसलिए कि साक्ष्य में विसंगति है, गवाह के श्रेय को कम करना पर्याप्त नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 एक असंगत पूर्व कथन के प्रमाण द्वारा एक गवाह के श्रेय पर महाभियोग लाने की

गुंजाइश प्रदान करती है।लेकिन इस खंड को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि सभी असंगत बयान गवाह के श्रेय पर महाभियोग चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।खंड का सामग्री भाग नीचे निकाला गया है:

"155. गवाह के श्रेय का महाभियोग।—एक गवाह के श्रेय पर प्रतिकूल पक्ष द्वारा, या न्यायालय की सहमति से, उसे बुलाने वाले पक्ष द्वारा निम्नलिखित तरीकों से महाभियोग चलाया जा सकता है -

(1)-(2)***

(3) उसके साक्ष्य के किसी भी हिस्से के साथ असंगत पूर्व बयानों के प्रमाण द्वारा जिसका खंडन किया जा सकता है।

26. एक पूर्व कथन हालांकि साक्ष्य के साथ असंगत प्रतीत होता है, जरूरी नहीं कि विरोधाभास के लिए पर्याप्त हो।केवल असंगत बयान जो "विरोधाभासी" होने के लिए उत्तरदायी है, गवाह के श्रेय को प्रभावित करेगा।साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 प्रतिपरीक्षक को गवाह के किसी भी पूर्व बयान का उपयोग करने में सक्षम बनाती है, लेकिन यह चेतावनी देती है कि यदि इसका उद्देश्य गवाह का "खंडन" करना है

प्रतिपरीक्षक को उसमें निर्धारित औपचारिकता का पालन करने का आदेश दिया जाता है। संहिता की धारा 162 प्रतिपरीक्षक को गवाह के पिछले बयान (संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज) का उपयोग केवल सीमित उद्देश्य यानी गवाह का "खंडन" करने के लिए करने की अनुमति देती है। "

21. तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1012 में, यह था

यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक गवाह का खंडन करने का अर्थ एक गवाह को "बदनाम" करना होगा।इसलिए, जब तक इस गवाह का पहला बयान किसी गवाह को "बदनाम" करने में सक्षम नहीं है, तब तक इसकी बहुत कम प्रासंगिकता होगी।दोनों बयानों में केवल बदलाव एक गवाह को बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।रम्मी (उपरोक्त) सहित इस न्यायालय ने अपने बाद के निर्णय में इसका लगातार पालन किया है।इसके अलावा, इस मामले में उच्च न्यायालय ने अन्य अधिक प्रासंगिक कारकों की दृष्टि खो दी जैसे कि गवाह एक घायल चश्मदीद गवाह है।22. साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 और 155 के संदर्भ में एक गवाह की प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य गवाह के दो बयानों में विरोधाभास लाना है, एक मामले में धारा 161 के अंतर्गत पुलिस को दिया गया और दूसरा न्यायालय के समक्ष दिया गया।यहां तक कि यह तर्क देते हुए भी कि पीडब्लू-2 के दो बयानों में एक अंतर है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अपने परीक्षण-प्रमुख में यह खुलासा नहीं करती है कि जेठनाथ भी बगल के क्षेत्र में काम कर रहे थे और दोनों के बीच विवाद था, यह गवाह को केवल घटना

की शुरुआत तक ही बदनाम कर सकता है; यह कैसे शुरू हुआ।यह तथ्य कि घटना हुई, संदेह में नहीं है।ऑफ एंडर्स भी आरोपी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह घटना हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।हो सकता है कि यह ठीक वैसा नहीं हुआ जैसा पीडब्लू-2 ने बताया था, फिर भी इस विसंगति के लिए पीडब्लू-2 की पूरी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है। 23. दो हमलावरों, मेघनाथ और जेठनाथ को लगी तथाकथित चोटों को उच्च न्यायालय ने फिर से इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा किया कि यह मामला दोनों पक्षों के बीच निशुल्क लड़ाई का मामला हो सकता है जो पूर्व-नियोजित नहीं था, विशेष रूप से जहां दोनों पक्षों को चोटें लगी थीं!24. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा रखे गए साक्ष्य को अनुचित श्रेय दिया है।दूसरी ओर विचारण विचारण न्यायालय ने इस पहलू की विस्तार से जांच की थी और अंततः बचाव पक्ष द्वारा रखे गए साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना।ऐसा क्यों किया गया, इसकी सराहना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है।यह साबित करने के लिए कि घटना में अभियुक्तों को भी चोटें आई थीं, बचाव पक्ष ने डी. डब्ल्यू.-4 डॉ. देवकरण को अपने 97 के रूप में पेश किया था।

गवाह।यह गवाह एक सरकारी डॉक्टर है, और अपने बयान के समय निलंबित था, और विचारण न्यायालय के सामने अपने स्वयं के बयान से ऐसा इसलिए था क्योंकि उस अंतर्गत पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देने का आरोप लगाया गया था, हालांकि उसने कोई पोस्टमॉर्टम नहीं किया था।इस गवाह की विश्वसनीयता के लिए इतना।अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी मेडिकल रिपोर्ट में अधिलेखन और गलतियों के बारे में जिरह की गई थी।वह रिपोर्ट में बदलाव करने से इनकार करते हैं।विचारण न्यायालय ने माना कि इस गवाह (डी. डब्ल्यू.-4) की मेडिकल रिपोर्ट "संदिग्ध" है, इन कारणों से कि इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि दोनों अभियुक्तों को ये चोटें कैसे लगी थीं।जेठनाथ द्वारा दी गई चोटों का एकमात्र प्रमाण यह था कि उनके गिरफ्तारी ज्ञापन में इन चोटों का उल्लेख किया गया था, जब इसका उल्लेख 'हाथ पर घर्षण' के रूप में किया गया था।विचारण न्यायालय ने सही माना कि यह उस बल के कारण हो सकता है जो इस हमलावर ने मृतक पर हमला करने में लगाया था।इसके अलावा, चोटें किसी भी मामले में सरल प्रकृति की थीं।

25. हालांकि, उच्च न्यायालय इस पहलू की पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण से जांच करता है। इसने अभियुक्त की सरल, संदिग्ध और पूरी तरह से अस्पष्टीकृत चोटों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है और पीडब्लू-2 और उसके मृत पति पर क्रूर और जानलेवा हमले को कम कर दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक घायल गवाह, यानी पीडब्लू-2 की गवाही पर गंभीर संदेह व्यक्त किया है।हमारी सुविचारित राय में उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण सही नहीं था।

26. उच्च न्यायालय तथ्यों के साथ-साथ विधि दोनों पर मामले की सराहना करने में गलत रहा है।एक घायल चश्मदीद गवाह का बयान सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है जिसे न्यायालय द्वारा आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है।छोटी-मोटी विसंगतियाँ कोई मायने नहीं रखती हैं।एम. पी. बनाम राज्य मेंमानसिंह और अन्य (2003) 10 एस. सी. सी. 414, जहां निचली विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 302 के अंतर्गत , उच्च न्यायालय द्वारा एक घायल गवाह की तथाकथित विसंगतियों पर खारिज कर दी गई थी, इस विचारण न्यायालय ने बरी होने के खिलाफ राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए यह कहाः

"9. घायल गवाह के साक्ष्य का अधिक प्रमाणिक मूल्य है और जब तक ठोस कारण मौजूद नहीं हैं, उनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।केवल इसलिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में चाकू का कोई उल्लेख नहीं था, जो घायल गवाहों पीडब्लू 4 और 7 द्वारा दिए गए साक्ष्य के प्रभाव को दूर नहीं करता है।छोटी-मोटी विसंगतियाँ अन्यथा स्वीकार्य साक्ष्य की विश्वसनीयता को कम नहीं करती हैं।उच्च न्यायालय द्वारा संलग्न करने के लिए उजागर की गई परिस्थितियाँ

घायल गवाहों के साक्ष्य के प्रति संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक है। "

27. उच्च न्यायालय द्वारा पीडब्लू-2 के बयान पर अविश्वास करने के लिए दिए गए कारण सही नहीं हैं।उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-2 के बयान को धारा 161 Cr.P.C के अंतर्गत दिए गए उसके पहले के बयान में विसंगतियों के कारण और उसकी जाँच-पड़ताल में दिए गए बयान के कारण अस्वीकार कर दिया।यह जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, एक घायल चश्मदीद गवाह को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं था।इस चश्मदीद गवाह के अलावा, अन्य चश्मदीद गवाह भी थे, जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है।इसके अलावा, हथियारों और आरोपी के खून से सने कपड़े की बरामदगी भी हुई है।ठीक होने या ठीक होने के तरीके पर संदेह करने की कोई बात नहीं है।उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि हमलावरों का मृतक चंदरनाथ की हत्या करने का सामान्य इरादा या सामान्य उद्देश्य नहीं था, पूरी तरह से सही नहीं है।

28. भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 और धारा 307 के अंतर्गत आरोपी को बरी करने का आधार मुख्य रूप से इस धारणा पर आधारित था कि यह एक पूर्व नियोजित हमला नहीं था, बल्कि यह दो समूहों के बीच एक झड़प थी, जिसमें दोनों कुछ हद तक सशस्त्र थे, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को चोटें आईं, हालांकि शिकायतकर्ता की ओर से कुछ बड़ी चोटें और एक मौत हुई।उच्च न्यायालय का यह निर्धारण मुख्य रूप से दो पहलुओं पर आधारित है, पहला यह कि हमलावरों को भी चोटें आई थीं और दूसरा पीडब्लू-2 के साक्ष्य में विसंगतियां।

29. जहाँ तक कुछ अभियुक्तों को लगी चोटों का संबंध है, यह मुकदमे में कभी साबित नहीं हो सका।डी. डब्ल्यू.-4, जिसे एक गवाह के रूप में पेश किया गया था, पूरी तरह से बदनाम और सही था, जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में चर्चा की है।पीडब्लू-2 के बयान में तथाकथित विसंगतियों के बारे में हमारा फिर से यह विचार है कि यह गवाह एक घायल चश्मदीद गवाह है और इसलिए उसके साक्ष्य की पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

30. हालाँकि, यह कहने के बाद, हमारी यह भी राय है कि घटना के पूर्व नियोजित नहीं होने की संभावना को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, मामले की समग्र 'परिस्थितियों' को देखते हुए, जैसा कि हमारे सामने आग्रह किया गया है और यहां तक कि पीडब्लू-2 के दो बयानों में विरोधाभासों पर भी विचार किया जा सकता है।हम पीडब्लू-2 के साक्ष्य को बदनाम नहीं करते हैं।वह एक विश्वसनीय गवाह है।लेकिन केवल इस हद तक कि घटना किस कारण हुई, हम अभियुक्त को एक सीमित लाभ देने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए लाभ की तरह नहीं।

बीरबल नाथ बनाम राजस्थान और हमारा राज्य [सुधानशु धूलिया, जे.]

न्यायालय ।हमारा मानना है कि यह मामला गैर इरादतन हत्या का है, न कि हत्या का। पीडब्लू-2 के दो कथनों में विरोधाभास थे जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में चर्चा की है। हालाँकि, ये विरोधाभास इस गवाह को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। फिर भी, मामले के दिए गए तथ्य में ये विरोधाभास, अभियोजन पक्ष के पूर्व नियोजित हमले के मामले में अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हैं।हमारी राय में, इसलिए हमला धारा 4 से धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत आएगा, हमला पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि "अचानक एक अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में और अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना" था। "

31. दोनों अपीलों की अनुज्ञात है और उच्च न्यायालय के दिनांकित 08.08.2007 के आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।जहाँ तक विचारण विचारण न्यायालय के आदेश का संबंध है, हम धारा 302 को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग I में और धारा 307 को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 308 में परिवर्तित करते हैं। हम प्रत्येक अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग I के अंतर्गत सात साल के कठोर कारावास (आर. आई.) और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 308 के अंतर्गत तीन साल के कठोर कारावास की सजा देते हैं। निचली अदालत द्वारा दी गई शेष सजा और सजा बनी रहेगी।

32. छह अभियुक्तों में से हमें सूचित किया गया है कि जेठनाथ का निधन हो गया है।इसलिए उसके खिलाफ मामला समाप्त हो जाता है।शेष अभियुक्त आज से चार सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे, जहाँ से उन्हें शेष सजा को पूरा करने के लिए जेल भेजा जाएगा।जमानत बांड, यदि कोई हो, तो उनका भुगतान कर दिया जाएगा। अभियुक्त द्वारा पहले से दी गई सजा की अवधि को वर्तमान में दी गई सजा से समायोजित

किया जाएगा।सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।हमारे आदेशों के आगे अनुपालन के लिए इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाए।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुज्ञात गई।

निधि जैन